

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2022::लखनऊ::दिनांक::नवम्बर 04, 2022

--आदेश--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी के पत्रांक-507/2022 एवं पत्रांक-508/2022 दिनांक 20.10.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क0सं0	द्वि0अ0सं0	व्यापारी का नाम व पता	क0नि0वर्ष
01	121/21	सर्वश्री दुर्गा ईट उद्योग, नौबतपुर, चन्दौली।	14-15
02	122/21	सर्वश्री ----- उक्त -----	14-15
03	487/22	सर्वश्री जय हनुमान ईट भण्डार, सिधना, सैयदराजा, चन्दौली	08-09
04	488/22	सर्वश्री ----- उक्त -----	08-09

ह0/04.11.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1665/2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, वाराणसी।
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी।
3-असि0 कमि0/रा0प्रति0 पीठ-1 व 5, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।